

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0
विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, उरई

निजी नलकूप/पूर्ण जमा योजना

पत्रांक..... 1557

वि0वि0ख0-द्वि0/उरई

दिनांक..... 14.06.21

Name of estimate for

कृष्ण पुत्र नाथूराम

Address

कुठौदा खुर्द।

Connection place

कुठौदा खुर्द, विकास खण्ड-जालौन।

Sanction Load/Sanction No.

11HP/Deposit Work/ PTW-2020-21/100 RNO-1008103131

Date-09.06.2021

विषय-

व्यवहारिक एवं औपचारिक शर्तें।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा उक्त आवेदन पत्र में बांझित विद्युत भार 11/ हॉर्स पावर प्रक्रिया निजी नलकूप/पूर्ण जमा योजना संयोजन पर इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या दिनांक के क्रम संख्या पर स्वीकृत हो चुका है। कृपया संयोजन दिये जाने से पूर्व बांझित अनुबन्ध हेतु निम्नांकित शर्तों की पूर्ति के साथ किसी भी कार्य दिवस को 10:00 से सायं 5:00 बजे के मध्य उपस्थित हों।

क	फिक्स लाइन चार्ज	2036.00
ख	मीटर धनराशि	2921.00
ग	लाइन कास्ट	255,062.00
घ	सिक्वोरिटी	3300.00
ङ	डाक चार्ज-	0.00
योग		263,319.00

- अ. मीटर डिक्लेरेशन फार्म "अ" (तीन प्रतियों में)
ब साफ्ट का डायमीटर
स. बी0 एण्ड एल0 फार्म (तीन प्रतियों में)
द. मीटर वॉडी का डायमीटर
य मीटर की वॉडी नं0/आर0पी0एम0
जिसमें मीटर का पूर्ण विवरण अंकित हो।
- रु0 100.00 का जनरल स्टाम्प पेपर (अनुबन्ध डिक्लेरेशन पत्र सहित)
- निम्न हेड के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान द्वारा रु0 1200 मीटर निरीक्षक शुल्क के रूप में चालान की तीन प्रतियों सहित भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, उरई में जमा कर तथा रसीद के रूप में प्राप्त एक चालान की मूल प्रति अनुबन्ध के समय इस कार्यालय में जमा करें।

शीर्षक 043 बिजली पर कर व शुल्क विद्युत नियमावली के अन्तर्गत फीस।

- अ. 10 किलोवॉट तक रु0
- ब. 10 किलोवॉट से 20 किलोवॉट तक
- स. 20 किलोवॉट से 50 किलोवॉट तक
- द. 50 किलोवॉट से 100 किलोवॉट तक
- सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर एवं फोटो का प्रमाण पत्र।
- उपभोक्ता की फोटो, मीटर खरीद की रसीद एवं मीटर प्लेट की नकल तथा सेंट पावर कंपैसिटर की खरीद की रसीद का पूर्ण विवरण।
संयोजन अनुबन्ध के समय संयोजन से सम्बन्धित सभी प्रपत्र सही नाम पता सहित मूल प्रपत्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराने होंगे। सही प्रपत्र उपलब्ध न कर पाने की स्थिति में अनुबन्ध निरस्त माना जायेगा। (प्रपत्र-ख खसरा, खतौनी, बोरिंग प्रमाण पत्र, 10रु के स्टाम्प पर नोटरी ऐफीडेविट फोटो सहित यदि सहसातेदार है, तो अलग-2 स्टाम्प पर सहमति पत्र फोटो सहित, 61 ख, पहचान पत्र की फोटो एवं आधार कार्ड की फोटो कॉपी, कोठी के सामने आवेदक की फोटो, मीटर की रसीद (जी0एस0टी0), 10 रु0 का स्टाम्प पर्यावरण (वृक्षारोपण)नोटरी सहित)

- नोट- 1. आपको यह गारन्टी देनी होगी कि निजी नलकूप विभागीय टेरिफ के अनुसार प्रत्येक माह में विद्युत बिल का भुगतान करते रहेंगे।
2. उपरोक्त औपचारिकताओं के अभाव में विद्युत संयोजन नहीं दिया जा सकेगा।

- नोट : 1. कृपया प्रांकलन व लाइन चार्ट संबंधित अवर अभियन्ता से पुनः सत्यापित कराने के बाद ही मांग-पत्र की धनराशि रोकड़िया के पास जमा करें।
2. संलग्न जगह के स्वागत का प्रमाण पत्र।

पत्रांक..... वि0वि0ख0-द्वि0/उरई
प्रतिलिपि- उपखण्ड अधिकारी जालौन/कालपी/गाजीगढ़

दिनांक.....

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, उरई

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, उरई